कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
प्रार्थी	सर्वश्री दि स्ट्रा बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लि0, अम्बाला रोड, सहारनपुर।
प्रार्थना पत्र संख्या	340 / 08
प्रार्थी की ओर से	कोई उपस्थित नहीं हुआ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-340 / 08, दिनांक 11.8.08 प्रस्तुत किया गया जिसके माध्यम से उनके द्वारा Coated Abrasives (रेगमाल) पर कर की दर जाननी चाही है ?

2. व्यापारी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में यह बताया गया कि उनका आइटम उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-268 के अन्तर्गत आता है। अत: 4% की दर से कर देय है।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ग की प्रविष्टि संख्या-268 तथा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-87 दिनांक 16.1.09 से निम्नवत है:-

268	Buffing goods and polishing materials.

87	Nuts, bolts, screws and fasteners that is to say–hinges, nails, rivets, cotter, cotter pins, staples, panel pins; tel ki kuppi; files used by artisans; **Coated and bonded abrasives**, jointing materials; Fittings for doors, window and furniture including hinges-butt, piano, narrow, tee, parliament handles for locks, furniture handles, furniture knobs, drawer channel, furniture fitting, furniture hinges, furniture catchers; blue cut taks ,hob-nails, stars, studs, iron heels, bullock and horse shoes and nails; chains of all kinds; all kinds of metal sections including slotted angles, shelves and accessories; rods, rails, channels and curtain fittings; tower bolts, handles, aldrops, window stay, gate hook, door stopper, brackets, card clamp, clips, corners, washers, eyelets, hooks and eyes, hangers, hasps, pegs, pelmet fittings, sliding door fittings, stoppers, suspenders, springs, magic eyes, trolley wheels, pulleys and holdfasts; wire brushes.

4. व्यापारी द्वारा दिनांक 12.1.09 को एक प्रार्थना-पत्र इस आशय का दिया गया कि उनको उक्त मामले में कुछ नहीं कहना है तथा उनके प्रार्थना-पत्र पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले लिया जाय।

5. एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, सहारनपुर जोन द्वारा अपने पत्र संख्या-1746, दिनांक 16.9.08, ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, सहारनपुर सम्भाग द्वारा अपने पत्र संख्या-1987, दिनांक 12.9.08 एवं डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-10, सहारनपुर द्वारा अपने पत्रांक-283, दिनांक 6.6.08 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार Coated Abrasives किसी भी अनुसूची में सम्मिलित न होने के कारण अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% की दर से करदेयता है।

धारा-59 अनुभाग

6. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, प्राप्त आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। पाया गया कि नोटिफिकेशन संख्या-102, दिनांक 15.1.09 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-87 में संशोधन करते हुए उक्त प्रविष्टि में Coated and bonded Abrasives को सम्मिलित कर लिया गया है। अत: Coated Abrasives पर दिनांक 16.1.09 के पश्चात 4% तथा 16.1.09 के पूर्व अवर्गीकृत होने के कारण 12.5% की दर से करदेयता होगी।

7. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

8. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 19 दिसम्बर, 2009

ह0 /- 19.12.09

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रमाणित प्रतिलिपि